राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक :एफ 7(2)(58)रा.छा./सान्याअवि/16 22683 जयपुर, दिनांक 04-5-2017

आदेश

विभागीय पत्र क्रमांक एफ7(2)( )अनु.रा.छा/सान्याअवि/12/53587-626 दिनांक 27.06.2013 एवं आदेश क्रमांक एफ 7 (2) (58)रा.छा/सान्याअवि/40614 दिनांक 26.06.2015, एफ 7 (2) (58)रा.छा/सान्याअवि/15/73613दिनांक 08.12.2015 एवं आदेश क्रमांक एफ 7 (2)(58)रा.छा/सान्याअवि/16/29647 दिनांक 10.05.2016 के द्वारा क्रमशः विभागीय छात्रावासों में अतिरिक्त कार्य करने हेतु महिला अध्यापिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 5000/- रूपये प्रतिमाह एवं शिक्षा विभाग के शिक्षकों (महिला एवं पुरूष) को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 5000/- रूपये प्रतिमाह देने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज. जयपुर की आई.डी. संख्या **161700523 दिनांक 21.04.2017** के अनुसरण में, आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था अन्तर्गत अनुज्ञेय मानदेय का भुगतान सामान्य वित्त एवं लेखा नियम भाग-1 के नियम 156 व 355 (4) के अध्ययधीन विभाग द्वारा छात्रावासों के लिये प्रावधित बजट मदों में विस्तृत मद 05-कार्यालय व्यय में से किया जाकर अविलम्ब भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिन छात्रावासों में नियमित विभागीय छात्रावास अधीक्षक कार्यरत नहीं है, **उन छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों को छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होने तक, का कार्यभार अविलम्ब शिक्षा विभाग के शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2018 तक अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने, जो भी पहले हो तक, रूपये 5000/- रूपये (अक्षरे पांच हजार मात्र) प्रतिमाह संमेकित मानदेय पर निम्न शर्तो के आधार पर लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-**

1. बालिका/महिला छात्रावासों में छात्रावास के नजदीकी विद्यालय में कार्यरत अथवा छात्रावास के नजदीकी स्थान पर आवासित महिला शिक्षिका को ही छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सम्भलवाया जावेगा।
2. बालक छात्रावासों में छात्रावास के नजदीकी विद्यालय में कार्यरत अथवा छात्रावास के नजदीकी स्थान पर आवासित शिक्षक को ही छात्रावास अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सम्भलवाया जावेगा।
3. अतिरिक्त कार्यभार की उक्त व्यवस्था शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आपसी समन्वय से की जायेगी।
4. यदि किसी बालिका छात्रावास में पुरूष छात्रावास अधीक्षक नियुक्त हो तो उसके स्थान पर महिला छात्रावास अधीक्षक को चार्ज दिलवाया जावे।

(रवि जैन)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक :एफ 7(2)(58)रा.छा./सान्याअवि/16 22684-713 जयपुर, दिनांक 04-5-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राज. जयपुर की आई.डी. संख्या 161500599 दिनांक 4.6.2015 के क्रम में सूचनार्थ।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय ....।
11. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग .... को पालनार्थ।
12. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

D:\work\03-04-2017 (II).doc